

कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/15-क/

/नवीनीकरण/2020-21/

दिनांक 01 जुलाई 2020

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(बे0)/15-क/28292-96/मान्यता/2016-17 दिनांक 31.03.2017 द्वारा एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, होलकर स्टेट, कैण्ट रोड, मोंथरोंवाला को प्री-प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 28.02.2020 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.03.2020 से आगामी तीन वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जाता है और तीन वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(आर0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/15-क/ 1890-95 /नवीनीकरण/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय7 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

देहरादून।

Manager Administration
Edify World School
Mothrowala, Dehradun



कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक: शिविर(बे0)/15-क/ 2020-21 /मान्यता/2016-17 दिनांक : 31 मार्च, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
एडिफाई वर्ल्ड स्कूल,
होलकर स्टेट, कैण्ट रोड, मोथरोवाला, देहरादून।

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन-पत्र उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, होलकर स्टेट, कैण्ट रोड, मोथरोवाला, देहरादून को प्रीप्राइमरी से कक्षा 8 तक(अंग्रेजी) संचालन हेतु तीन वर्षों दिनांक 01.03.2017 से 28.02.2020 तक की अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तितगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे-

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

(छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(सात) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

(आठ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

(नौ) अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का वितरण निम्नतम होगा-



Manager Administration
Edify World School
Mothrowala, Dehradun

- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
 15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 897 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 18. यदि की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

औपबन्धन मान्यता के बिन्दु-

1. टी0ई0टी0 प्रथम एवं द्वितीय शिक्षक आर0टी0ई0 मानकों के अनुसार नहीं है।
2. निजी भवन/किरायानामा/लीजडीड, विद्यालय/सोसायटी के नाम पंजीकृत नहीं है।

नोट :- विद्यालय को समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर में यू-डायस की सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होंगी और विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में शैक्षिक योग्यताधारी शिक्षकों की तैनाती करनी अनिवार्य होगी, तथा विद्यालय को औपबन्धिक मान्यता के छः माह के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमोदित प्रशासन योजना उपलब्ध कराना होगा। यदि औपबन्धिक मान्यता के बिन्दुओं का अनुपालन मान्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जाता है तो विद्यालय की मान्यता स्वतः ही निरस्त कर दी जायेगी।



भवदीय

डॉ0(मुकुल कुमार सती)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0: शिविर(बे0)/15-क/ /मान्यता/2016-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।

जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।

Manager Administration
Edify World School
Mothrowala, Dehradun

उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की